

## कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश 17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष- 2550488, 2550446, 2553305, 2551282 फ़ैक्स- 0755- 2555162,

E-Mail : ceomp@mp.nic.in, Website:http://ceomadhyapradesh.nic.in

फा. क्र. 1/2008/3/ 6048  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28.08.2008

29-8-08

कलेक्टर  
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (समस्त)  
मध्यप्रदेश

विषय: Shifted Voters एवं Missing Voters में अन्तर ।

विषयान्तर्गत कतिपय जिलों से Shifted Voters एवं Missing Voters में अन्तर की जानकारी चाही गई है । इस संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है :-

उपायुक्त, भारत निर्वाचन आयोग की संभागीय बैठकों में **Missing voters** के बारे में जानकारी दी गई थी । फिर भी कतिपय जिला कलेक्टर द्वारा इस संबंध में मार्ग-दर्शन मांगा गया है । अतः स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है :-

1. **Shifted voters** वह मतदाता है जो अपना मतदाता सूची में दिये निवास स्थान को छोड़कर क्षेत्र के बाहर चला गया है । यह वह व्यक्ति है जो अब उस क्षेत्र में निवास नहीं करता । उदाहरण स्वरूप स्थानांतरित शासकीय कर्मचारी जो जा चुका है, किरायेदार जो क्षेत्र छोड़ चुका है, व्यवसाय/नौकरी हेतु जो पूर्णतः बाहर जाकर बस गया है, अविवाहित कन्या जो विवाहोपरान्त बाहर जा चुकी है, इत्यादि । यह मतदाता वह है जिसका स्थानीय पूछताछ (local enquiry) में क्षेत्र छोड़ने बाबत प्रकरण सत्यापित हो गया है ।

2. **Missing voters with familylinks** वह है जिसका व्यवसाय/मजदूरी अथवा अन्य कारण से स्थानीय पूछताछ में बाहर आम तौर पर अथवा स्थाई तौर पर रहना पता चलता है परन्तु उसके परिवार का कोई सदस्य अथवा पूरा परिवार अभी भी यहीं रहता है । यह सत्यापित करना होगा कि क्या वह अल्प समय को ही गया है अथवा मात्र कभी-कभी आता है । यदि वह कभी-कभी आता है तो उसके अन्यत्र मतदाता रूप में दर्ज होने की संभावना है । यह हो सकता है कि भले ही वह बाहर काम करता हो पर परिवार के सदस्य उसे वहीं रहना बताएं । आस-पास की पूछताछ में वस्तुस्थिति ज्ञात की जानी होगी । मात्र किसी विवाह कार्यक्रम, यात्रा अथवा व्यवसाय हेतु अल्प प्रवास पर गया व्यक्ति इस श्रेणी में नहीं आएगा । यदि यह पता चलता है कि भले ही उसका परिवार यहां रहता है पर वह कभी-कभी ही, जैसे वर्ष में एकाध बार या एक से अधिक वर्ष में कभी आता है तो वह इस श्रेणी में आएगा । यदि यह सत्यापित होता है कि वह मात्र कहने के लिये ही कभी आता है और सामान्य तौर पर निवासी नहीं है तो वह **Shifted category** में लिया जाकर उसका नाम विधिवत् कार्यवाही कर निरस्त किया जा सकता है । परन्तु संदिग्ध स्थिति होने पर वह इस श्रेणी में रखा जाएगा ।

3. **Missing voters without family links** वह मतदाता है जो सामान्य तौर पर ग्राम/नगर में निवासरत नहीं पाया जाता व उसका परिवार भी वहाँ नहीं है । यह काफी संदेहास्पद स्थिति का मतदाता दर्ज है । यदि इसका Enquiry में बाहर ही रहना सत्यापित हो जाता है तो **Shifted** श्रेणी में इसे लिया जाकर इसका नाम विधिवत् कार्यवाही कर निरस्त होगा । परन्तु यदि किसी कारणवश इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती व पूर्णतः इसका स्टेटस सत्यापित नहीं होता तो यह **Missing** श्रेणी में जाएगा ।

संक्षेप में जिस मतदाता का ग्राम/नगर में सामान्य रूप से निवासी नहीं होना व मतदान हेतु उपलब्ध न होना सत्यापित होता है वह Shifted श्रेणी में जाकर निरसित होगा ।

जो मतदाता की स्थिति पूर्णतः सत्यापित नहीं हो पाती कि वह मतदान हेतु उपलब्ध होगा अथवा नहीं और उसका नाम निरसन करने में कोई संशय है तो वह Missing श्रेणी में जाएगा ।

Missing की दोनों श्रेणियों के दर्ज मतदाताओं की पृथक तैयार सूचियाँ निर्वाचक नामावली के साथ-साथ मतदान केन्द्रवार, मतदान दिनांक को इनकी शिनाख्त हेतु रखी जाएंगी व ऐसे मतदाताओं का सत्यापन वहाँ अलग से किया जाएगा ।

समस्त चुनाव संबंधित अधिकारियों को उक्त जानकारी स्पष्ट रूप से देते हुए स्थानीय प्रेस विज्ञप्ति इत्यादि के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार भी करें ।




(संजीव कुमार झा)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28.08.2008

फा. क्र. 1/2008/3/6049

प्रतिलिपि:- संभागीय आयुक्त (समस्त) मध्यप्रदेश को सूचनार्थ अग्रेषित । 29-8-08



(संजीव कुमार झा)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
मध्यप्रदेश